

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड,(जुडको लि0)
(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
वसुंधरा मेगामार्ट, द्वितीय तल, अरगोड़ा राँची-834002 झारखण्ड
फोन न0-0651-2243203

CIN: U45200JH2013SGC001752 Mail Id juidcolimited@gmail.com

पत्रांक : जुडको लि0 / का0आ0 / भाग-II/119 / 2014-.....180..... / राँची,दिनांक 25-04-2016

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2601 दिनांक 09.07.2013 द्वारा झारखण्ड अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको लि0) का गठन किया गया है।

(2) झारखंड राज्य अंतर्गत सभी स्थानीय शहरी निकायों में शहरी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण विकास, जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु परामर्शियों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के विभिन्न चरणों का ससमय अनुश्रवण एवं समीक्षा आवश्यक है ताकि गुणवत्तापूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो सके।

(3) नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर मो0 50 लाख रू0 एवं उससे अधिक प्राक्कलित राशि की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा सर्वश्री जुडको के द्वारा की जानी है ताकि ऐसे योजनाओं का कार्य ससमय पूर्ण किया जा सके।

(4) स्थानीय शहरी निकायों के द्वारा वित्तीय अनुशासन के अनुपालन में शिथिलता बरतने के कारण इनका आय-व्यय का लेखा-जोखा समय पर तैयार नहीं किया जाता है। राज्य के अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय वित्तीय कुप्रबंधन के शिकार हैं, जिसके फलस्वरूप इन निकायों में वित्तीय संसाधनों की लगातार कमी बनी रहती है, जिससे सुनियोजित वित्तीय प्रबंधन करते हुए निपटा जा सके।

(5) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सर्वश्री जुडको लिमिटेड में कार्यरत वरीय पदाधिकारियों के बीच कार्यों का आवंटन निम्न वर्णित इस अपेक्षा के साथ किया जाता है ताकि इन पदाधिकारियों के द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक अनुश्रवण करते हुए आवश्यकतानुसार पहल लेते हुए प्रसंगाधीन प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नियमित रूप से उपस्थापित किया जाएगा :

2

क्र०सं०	पदनाम	आवंटित प्रक्षेत्र (डी.पी.आर निर्माण एवम् क्रियान्वयन)/ कार्य
1	2	3
1	परियोजना निदेशक (तकनीकी)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, 2. भवन निर्माण /PMAY 3. नदी/ तालाब/ झील जीर्णोधार एवं संरक्षण 4. योजना (मास्टर प्लान, सिटी डेवलपमेंट प्लान, सिटी सेनिटेशन प्लान)
2	महाप्रबंधक	<ol style="list-style-type: none"> 1. परिवहन 2. जलापूर्ति 3. पार्क/शवदाहगृह 4. सिवरेज एवं ड्रेनेज
3	परियोजना निदेशक (लेखा)	<ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा वसूल किए जा रहे करों/शुल्कों का नियमित अनुश्रवण । 2. स्थानीय शहरी निकायों के वित्तीय लेखा-जोखा, बजट एवं अन्य वित्तीय मामलों का ससमय निष्पादन। 3. वित्तीय मामलों से संबंधित परामर्शी सेवाओं का अनुश्रवण एवं तत्संबंधी कार्यान्वयन ।
4	परियोजना निदेशक(प्रशासन)	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्थानीय शहरी निकायों में मो० 50 लाख एवम् उससे अधिक लागत राशि की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण । 2. विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भू-हस्तांतरण/ भू-अर्जन के माध्यम से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सतत् अनुश्रवण ।

6. उपर्युक्त सभी पदाधिकारी अपने आवंटित प्रक्षेत्र/ कार्य के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के प्रति सीधे उत्तरदायी होंगे।
7. अपने आवंटित प्रक्षेत्र/ कार्यों से संबंधित संचिका को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के समक्ष सीधे उपस्थापित करेंगे।





8. परियोजना निदेशक, लेखा एवं परियोजना निदेशक, प्रशासन के द्वारा प्रत्येक माह सौंपे गए कार्यों का मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 7वीं तारीख तक समर्पित किया जाएगा ।
9. परियोजना निदेशक तकनीकी एवं महाप्रबंधक के द्वारा सौंपे गए प्रक्षेत्रों से संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ससमय तैयार कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा इन प्रक्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अवगत कराया जाएगा ।

इस क्रम में समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा । सौंपे गए कार्यों के निर्वहन् में यदि पार्ट टाइम विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है तो अधोहस्ताक्षरी से विधिवत् ससमय अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्य सम्पन्न कराया जाएगा ।

10. पूर्व में पदाधिकारियों के कार्य आवंटन संबंधी आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।


यह आदेश तत्काल के प्रभाव से लागू होगा।


(अरुण कुमार सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
जुडको लि०।

ज्ञापांक : JUIDCO Ltd. / का० आ०/मज-II/119/2014-180 दिनांक : 25-04-2016

प्रतिलिपि :- (1) परियोजना निदेशक (तकनीकी), परियोजना निदेशक (प्रशासन), परियोजना निदेशक (लेखा), महाप्रबंधक, जुडको लि० को सूचनार्थ एवम् अनुपालनार्थ प्रेषित।

(2) उप महाप्रबंधक, सभी परियोजना प्रबंधक/उप परियोजना प्रबंधक/सहायक परियोजना प्रबंधक एवम् सभी विशेषज्ञ, जुडको लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
जुडको लि०।

(१)